उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक **अंगनु उराँव वगै0**

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129) **बनाम**

मेसर्स हिण्डालको ई0 ली0

आदेश फलक तारीख............से..............तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :–29/**2019–20**

वाद का प्रकार :– अनुमति वाद (Permission)

आवेदक 1. श्री अंगनु उराँव

2 बंधन उराँव दोनो के पिता–स्व0 टेटला उराँव

सभी ग्राम– चपाटोली थाना– विशुनपुर जिला–गुमला के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 49 के अंतर्गत् अपने स्वामित्त्व के निम्नांकित भूमि **मेसर्स हिण्डालको ई0 ली0** लोहरदगा जिला– लोहरदगा को 20 (बीस) वर्षों की लीज में देने के लिये अनुमति हेतु आवेदन देकर अनुरोध किया गया हैं :–

क्र0	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा (ए0 में)
1.	हाड़ुप	65	109	1093	1.04
				1296	0.87
				1299	1.94
	कुल			03	3.85

अंचल अधिकारी विशुनपुर ने अपने पत्रांक–157/रा0 दिनांक–05.04.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदको एवं मेसर्स हिण्डालको ई0लि0 से राजस्व कागजातों की मांग की गई परन्तु आवेदको के द्वारा कोई जवाब नही दिया गया। साथ ही आवेदकों द्वारा जॉच प्रतिवेदन एवं वंशावली पर हस्ताक्षर करने को तैयार नही हुए। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आवेदकगण भूमि लीज पर देने हेतु तैयार नही है। अंचल अधिकारी विशुनपुर के द्वारा वाद को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है।

अतः अंचल अधिकारी विशुनपुर के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में अनुमति वाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

28.04.22

उपायुक्त,
गुमला

28.04.22

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.04.28 17:37:44 +05:30
Location: 192.168.1.49